प्रेस नोट

दिनांक 21.06.2025

11वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र, गोण्डा श्री अमित पाठक व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में आयोजित योगाभ्यास शिविर में सभी अधिकारियों व कर्मियों संग उत्साहपूर्वक योगाभ्यास कर स्वस्थ तन व शांत मन का संकल्प लिया।

गोण्डा। आज दिनांक 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमित पाठक एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक, थाना प्रभारियों, विभिन्न शाखाओं के अधिकारी/कर्मचारी, प्रशिक्षु आरक्षीगण सहित भारी संख्या में पुलिस बल के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उपस्थित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के योगासनों जैसे- पद्मासन, वज्रासन, मत्स्यासन, वक्रासन, अर्ध-मत्स्येन्द्रासन, सूर्य नमस्कार, गोमुखासन, पश्चिमोत्तनासन, उष्ट्रासन, अर्धहलासन, हलासन, सर्वांगासन, पवनमुक्तासन, नौकासन, शवासन, मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन, विपरीत नौकासन आदि योगों का अभ्यास किया गया। तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजित योगा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण (Live Telecast) पुलिस लाइन गोण्डा स्थित योग शिविर में उपस्थित समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को दिखाया गया, जिससे सभी ने प्रधानमंत्री जी के अनुशासन, ऊर्जा एवं योग के प्रति समर्पण से प्रेरणा प्राप्त कर नियमित योग अभ्यास का संकल्प लिया तथा उनके अनुकरण हेतु स्वयं को प्रतिबद्ध किया। पुलिस महानिरीक्षक श्री अमित पाठक द्वारा योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि "योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक शांति, अनुशासन और आत्म-संयम भी प्रदान करता है। पुलिस बल जैसे चुनौतीपूर्ण कार्यक्षेत्र में योग अत्यंत उपयोगी है।" पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल ने भी योग की उपयोगिता पर बल देते हुए सभी कार्मिकों से नियमित रूप से योग को जीवन में अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा "स्वस्थ तन और शांत मन से ही हम जनता की सेवा में पूरी दक्षता और निष्ठा से कार्य कर सकते हैं। योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है।"

कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना तथा उनके तनाव प्रबंधन को सहयोग प्रदान करना रहा।

अंत में सभी उपस्थित जनों ने "नियमित योग, निरोग जीवन" का संकल्प लिया और एकजुट होकर देश की सेवा में अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिबद्धता दोहराई। 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम ‘‘एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग’’ है, जिसका तात्पर्य यह है कि योग सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं, बल्कि पर्यावरणीय जागरूकता और सामाजिक सामंजस्य का एक शक्तिशाली माध्यम है। और वैश्विक स्तर पर मानवता और प्रकृति के बीच संतुलन की चेतना जगाती है, साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य को पर्यावरणीय जिम्मेदारी से जोड़ती है। यह थीम विशेष रूप से आज की तनावपूर्ण जीवनशैली में शांति, स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता प्राप्त

करने के लिए योग को अपनाने की प्रेरणा देती है, जिससे व्यक्ति न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज और देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वहन कर सके।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक, समस्त शाखा प्रभारी व अन्य पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 21.06.2025

संपूर्ण समाधान दिवस

जनपद गोण्डा।

जिलाधिकारी गोण्डा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील कर्नलगंज में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया-

आज दिनांक 21.06.2025 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में कर्नलगंज तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा, पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगणों द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना-पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर उपजिलाधिकारी कर्नलगंज, क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज, प्र0नि0 कटराबाजार, प्र0नि0 कर्नलगंज सहित राजस्व व पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 21.06.2025

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-22/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त-संदीप कुमार मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या नि0 ग्राम वीरेपुर मुरावनपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को ग्राम वीरेपुर मुरावनपुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 21.06.2025 को प्र0नि0 मोतीगंज अरविन्द यादव मय हमराह फोर्स के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त संदीप कुमार मौर्या को ग्राम वीरेपुर मुरावनपुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु लूट/छिनैती की घटनाओं को कारित किया करते है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. संदीप कुमार मौर्या पुत्र शिवकुमार मौर्या नि0 ग्राम वीरेपुर मुरावनपुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-22/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0-289/17, धारा 147,323,504,506,452,394 भादवि व 3(1)द,ध एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0-04/21, धारा 147,323,504,506,452,395 भादवि व 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

03. मु0अ0सं0-135/24, धारा 341,394,504,506,120बी भादवि व 411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

04. मु0अ0सं0-153/24, धारा 379,411,413 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

प्र0नि0 अरविन्द यादव थाना मोतीगंज मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 21.06.2025

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-91/25, धारा 319(2),318(4),316(2),351(2),61(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों-01. मो0 रफीक पुत्र स्व0 सईद, 02. जन्नतुननिशा पत्नी मो0 रफीक नि0 रूद्रगढ नौसी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी रामनरायन पुत्र स्व0 जगप्रसाद निवासी अलफनगर, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी मो० रफीक व उसकी पत्नी जैन्नतुननिशा ने दिनांक 13.04.2021 को ₹6,00,000/- में एक प्लाट बेचने का बैनामा किया, किंतु भूमि पहले ही अन्य व्यक्ति को बेची जा चुकी थी। जब प्रार्थी भूमि पर कब्जा करने गया, तो विपक्षीगण ने रोका और धमकी दी। विपक्षीगण ने जानबूझकर षड्यंत्रपूर्वक धोखाधड़ी करते हुए धनराशि हड़प ली गयी है। वादी की तहरीर पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें आज दिनांक 21.06.2025 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 आरोपी अभियुक्तों-01. मो0 रफीक पुत्र स्व0 सईद, 02. जन्नतुननिशा पत्नी मो0 रफीक नि0 रूद्रगढ नौसी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. मो0 रफीक पुत्र स्व0 सईद नि0 रूद्रगढ नौसी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

02. जन्नतुननिशा पत्नी मो0 रफीक नि0 रूद्रगढ नौसी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-91/25, धारा 319(2),318(4),316(2),351(2),61(2) बीएनएस थाना धानेपुर गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 त्रिपुरारी मिश्रा।

02. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव।

03. म0का0 भावना सिंह।

04. म0का0 प्रियंका मिश्रा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 21.06.2025

थाना मनकापुर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-267/2025, धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों-01. भैरमी उर्फ भैरवि पुत्र चतुरी, 02. दुलारपति पत्नी भैरमी निवासीगण सेमरिया बाजार जंगल हनुमानगंज थाना पड़रौना जनपद कुशीनगर को मनकापुर स्टेशन मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.04.2025 को वादी विशाल पुत्र रामजीत, निवासी ग्राम औरहवा, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उसके भाई मोटे द्वारा जयसन,सीमा, राहुल, अंजनी भैरमी व दुलारपति की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। वादी की तहरीर पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकत हुआ। आज दिनांक 21.06.2025 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा वांछित चल रहे 02 आरोपी अभियुक्तों-01. भैरमी उर्फ भैरवि पुत्र चतुरी, 02. दुलारपति पत्नी भैरमी निवासीगण सेमरिया बाजार जंगल हनुमानगंज थाना पड़रौना जनपद कुशीनगर को मनकापुर स्टेशन मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपने दामाद मोटे से पारिवारिक विवाद किया था, जिससे क्षुब्ध होकर मोटे ने आत्महत्या कर ली थी। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. भैरमी उर्फ भैरवि पुत्र चतुरी नि0 सेमरिया बाजार जंगल हनुमानगंज थाना पड़रौना जनपद कुशीनगर।

02. दुलारपति पत्नी भैरमी नि0 सेमरिया बाजार जंगल हनुमानगंज थाना पड़रौना जनपद कुशीनगर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-267/2025, धारा 108 बीएनएस थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 उमेश सिंह।
02. म0उ0नि0 रुचि गौतम
03. का0 पारस यादव
04. का0 दुर्गेश चौधरी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 21.06.2025

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से शातिर आरोपी अभियुक्त को हुई 05 वर्ष की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.01.2021 को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान शातिर अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र जगमोहन नि0 ककरहवा मौजा सरैयामाफी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 26.03.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। आज दिनांक 21.06.2025 को अभियोजक श्री अमित उप्पल, थाना कौड़िया के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की द्वारा गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय सीजेएम महोदय श्री अमित सिंह तृतीय द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार को दोषसिद्ध करते हुए को 05 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. अशोक कुमार पुत्र जगमोहन नि0 ककरहवा मौजा सरैयामाफी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 18/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।